भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1729
वृहस्पतिवार, दिनांक 29 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ सौदा</u>

1729. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य में 2 रुपए प्रति यूनिट की बजाय 2.83 रुपए प्रति यूनिट की दर से अडानी समूह से 300 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनियां केरल सरकार को विद्युत की बिक्री कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी द्वारा प्रति यूनिट की दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या सरकार ने क्न्द्रीय पूल से राजसहायता दर/पूर्ण दर पर उक्त राज्य को विद्युत की बिक्री की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अक्षय ऊर्जा की खरीद और उसे राज्य सुविधा केन्द्रों को आपूर्ति करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों अर्थात् भारतीय सौर ऊर्जा निगम लि. (सेकी), एनटीपीसी लि. और एनएचपीसी लि. को अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) अथवा मध्यवर्ती खरीददार के रूप में नामित किया है। अक्षय ऊर्जा की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए हैं और उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ अनुमोदित किए जाते हैं। केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि. (केएसईबीएल) को विद्युत की आपूर्ति हेतु इन कंपनियों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ङ) और (च): अनुलग्नक में उल्लिखित सभी परियोजनाओं में टैरिफ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अथवा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथा अनुमोदित है।

अनुलग्नक

'सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ सौदा' के संबंध में पूछे गए दिनांक 29.07.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1729 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि. (केएसईबीएल) को विद्युत की आपूर्ति के लिए एमएनआरई की अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में नामित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी	अक्षय ऊर्जा परियोजना क्षमता (मेगावाट)	विद्युत आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर/अनुमोदन की तिथि	टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा)	अक्षय ऊर्जा डेवलपर
1	एनटीपीसी लि.	92 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना	दिनांक 28.08.2019 को करार पर हस्ताक्षर किया गया।	विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथा निर्धारित	एनटीपीसी लि.
2	एनटीपीसी लि.	90 मेगावाट सौर परियोजना	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी) के दिनांक 21.06.2021 के आदेश द्वारा अनुमोदित करार।	2.97 रु. प्रति किलोवाट घंटा	एनटीपीसी लि.
3	भारतीय सौर ऊर्जा निगम लि. (सेकी)	आईएसटीएस पवन श्रेणी-VI के तहत 200 मेगावाट	दिनांक 14.06.2019 को करार पर हस्ताक्षर किया गया।	2.8237 रु. प्रति किलोवाट घंटा + 0.07 प्रति किलोवाट घंटा के व्यापार शुल्क	अडानी विंड एनर्जी कच्छ थ्री लि. (75 मेगावाट) जेनाटेरिस रिन्युएबल एनर्जी (प्रा.) लि. (125 मेगावाट)
4	भारतीय सौर ऊर्जा निगम लि. (सेकी)	आईएसटीएस पवन श्रेणी-VII के तहत 100 मेगावाट	दिनांक 06.09.2019 को करार पर हस्ताक्षर किया गया।	2.8091 प्रति किलोवाट घंटा + 0.07 रु. प्रति किलोवाट घंटा के ट्रेडिंग मार्जिन	स्प्रिंग विंड एनर्जी प्रा. लि.

*****